



प्रेस नोट थाना बिसण्डा जनपद बांदा

हत्या के अभियोग का खुलासा व अज्ञात वांछित अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी

दिनांक 22.10.2020 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बांदा श्री सिद्धार्थ शंकर मीणा महोदय के कुशल निर्देशन में व श्रीमान् अपरपुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र प्रताप चौहान के मार्गदर्शन व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री आनन्द कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह व हमराही कर्मगणों द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं 194/20 धारा 363/364/302/201/34 भादवि से सम्बन्धित अभियोग का खुलासा करते हुये घटना में शामिल 03 नफर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 19.10.2020 को थाना बिसण्डा जनपद बांदा पर मु0अ0सं0 194/20 धारा 363 भादवि में अज्ञात अभियुक्तगणों के द्वारा वादी के पुत्र प्रिन्स कुशवाहा उम्र करीब 08 वर्ष का अपहरण कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया अभियुक्तगणों द्वारा अपहृत प्रिन्स की गला दबाकर हत्या दी थी तथा शव को छिपा दिया था जिस कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 364/302/201 भादवि की बृद्धि की गयी। विवेचना व साक्ष्य संकलन से संदिग्ध आरोपी अंकित कुशवाहा पुत्र आनन्द कुमार कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष नि0 चौसड थाना बिसण्डा बांदा ने बताया कि मैं 11 बजे नहाने के बहाने सतरुपा के घर गया था तो मैं व सतरुपा दोनो चक्की के बगल बाले कमरे में सम्बन्ध बना रहे थे तभी प्रिन्स आ गया और हम दोनो को बिना कपडों के देख लिया और कहा सबको बता देगे तब मैंने व सतरुपा ने प्रिन्स को पकड लिया और मुँह दबा दिये फिर मुँह पर टेप लगा दिया और गला दबा दिया जब प्रिन्स ने हिलना डुलना बन्द कर दिया तो फिर सुमेरी की रस्सी से हाथ पैर बांध दिये और सतरुपा और मैंने प्रिन्स की लाश को छिपा दिया फिर मैंने बिसण्डा के छोटा गुप्ता से कहा कि ऐसी घटना हो गयी है कुछ करो जिससे किसी को शक न हो तब छोटा गुप्ता को मैंने राजेश कुशवाहा(प्रिन्स के पिता) का मो0न0 दिया और छोटा गुप्ता ने गुम शुदा मोबाइल 7317573286 से राजेश कुशवाहा(वादी) के मो0न0 8840525981 पर फोन करके धमकी दी। सभी अभियुक्त गणों द्वारा अपना अपना जुर्म कबूल करते हुये घटना में प्रयुक्त रस्सी, टेप, मोबाइल बरामद कराये गये उक्त अभियुक्तगण 1. अंकित कुशवाहा 2. सतरुपा 3. छोटा गुप्ता को अन्तर्गत धारा 363//364/302/201/34 भादवि में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अंकित कुशवाहा पुत्र आनन्द कुमार कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष नि० चौसड थाना बिसण्डा बांदा
2. श्री मती सतरुपा पत्नी जितेन्द्र कुशवाहा उम्र करीब 25 वर्ष नि०ग्राम चौसड थाना बिसण्डा बांदा
3. छोटा गुप्ता पुत्र स्व० कालीचरन गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष नि० कस्बा बिसण्डा थाना बिसण्डा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. नरेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष बिसण्डा
2. व०उ०नि० अनिल कुमार सिंह
3. उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
4. कां० प्रतीक सिंह
5. कां० रोहित यादव
6. कां० अंकित यादव
7. म०कां० प्रियंका यादव

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. अंकित कुशवाहा पुत्र आनन्द कुमार नि०चौसड थाना बिसण्डा बांदा
मु०अ०सं० 02/17 धारा 366/376 भादवि
मु०अ०सं० 203/19 धारा 376डी/342/323/506 भादवि
2. अभियुक्त छोटा गुप्ता पुत्र कालीचरन नि०कस्बा व थाना बिसण्डा बांदा
मु०अ०सं० 203/19 धारा 376डी/342/323/506 भादवि
मु०अ०सं० 196/14 धारा 302/201/34 भादवि

अभियुक्त गणों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 194/20 धारा 363 भादवि के अज्ञात वांछित अभियुक्तगणों के नाम को प्रकाश लाते हुये अभियुक्तगण 1. अंकित कुशवाहा 2. सतरुपा 3. छोटा गुप्ता नि०गण उपरोक्त को मु०अ०सं० 194/20 धारा 363//364/302/201/34 भादवि के तहत गिरफ्तार करते हुये जेल भेजा जा रहा है।